न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 25 / 2012

उनवान

1. विजय सिंह आत्मज जवार सिंह राजपुत निवासी जोधगढ तहसील माण्डल , जिला भीलवाडा
2. विरम सिंह आत्मज जवार सिंह राजपुत निवासी जोधगढ तहसील माण्डल , जिला भीलवाडा
3. रतन सिह आत्मज जवार सिंह राजपुत निवासी जोधगढ तहसील माण्डल , जिला भीलवाडा
4. जमनी बेवा जवार सिंह राजपुत निवासी जोधगढ तहसील माण्डल , जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, जिला भीलवाडा
2. हींगा सिंह आत्मज चतर सिंह रावत राजपुत निवासी जोधगढ तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. भूरसिंह आत्मज सुजान सिंह आठोलिया निवासी शिवपुर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

4 / 1 सुखवीर सिंह पिता पूरण सिंह आठोलिया निवासी शिवपुर

5 / 1 रामसिंह पिता मालसिंह आठोलिया निवासी शिवपुर

6 मोहन लाल आत्मज नन्दा भाट निवासी जोधगढ तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

7. प्रेमलता आत्मज नन्दा भाट निवासी जोधगढ तहसील माण्डल
8. बाबु लाल आत्मज नन्दा भाट निवासी जोधगढ
9. रामलाल आत्मज हजारी भाट निवासी आमनेर तहसील भीम जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्ट

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, करेडा के
प्रकरण संख्य 78/2004 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.11.2011

अभिभाषक : 1. श्री अशोक कुमार , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 26.2.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता एवं पति की ग्राम शिवपुर तहसील माण्डल की जमाबंदी संवत 2023 से 2026 में खाता संख्या 354 पर राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। उक्त जमीन के आराजी नम्बर 342, 343, 351, 352, 354, 372, 373, 374, 385, 386, 387, 390, 391, 393, 371, 375, 395, 376/2, 341/3, 453/3 कुल किता 22 कुल रकबा 42 बीघा भूमि जवाहर सिह के नाम पर खातेदारी अधिकारों से दर्ज थी। उक्त जमीन के भू प्रबन्ध के बाद नवीन नम्बर 315, 387, 492 लगायत 495, 497, 503, 505, 724, 725, 749 लगायत 761, 3476/493, 3477/314, 3478/495, कुल किता 27 कुल रकबा 35 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम शिवपुर तहसील माण्डल के राजस्व अभिलेख संवत 2055 लगायत 2058 में दर्ज है। इस प्रकार भू प्रबन्ध से पूर्व का क्षेत्रफल 42 बीघा था । जो भू

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रबन्ध के बाद नई जरीब के आधार पर 36 बीघा 18 बिस्वा होना चाहिये था। जिसके स्थान पर राजस्व अभिलेख में मात्र 35 बीघा 18 बिस्वा ही दर्ज किया गया है। साथ ही चरण संख्या 5 में अंकित भूमि जिसका पुराना रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा जिसका नई जरीब के अनुसार रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा होना चाहिये जो नहीं कर 13 बीघा 12 बिस्वा अंकित की गई। उक्त कमी जमीन का क्षेत्रफल रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की जमीन जो अपीलार्थीगण की जमीन से लगी हुई है , उसमें भू प्रबन्ध के दौरान दर्ज हो गई। इसलिए रेस्पोडेण्ट्स गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण की जमीन पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो गये। अतः वादग्रस्त कमी रकबा प्रतिवादीगण के खाते से कम की जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं दौराने विचारण अदम साक्ष्य में वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं रेस्पोडेण्ट एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थीगण को तत्समय नहीं हो सकी थी। क्यों कि रीडर द्वारा तारीख पेशी गलत बताई गई थी। जानकारी करने पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। तब जाकर निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत किया था। जवाब दावा आने पर तनकियात कायम की गई थी। उसके उपरान्त पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत थी। अपीलार्थीगण कई बार पेशी पर साक्ष्य देने हेतु उपस्थित भी हुए थे परन्तु साक्ष्य नहीं ली गई। उसके बाद दिनांक 24.11.2011 को उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदम साक्ष्य में खारिज कर दिया गया। जो विधिसम्मत नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में 18.8.2011 की पेशी नियत थी उक्त पेशी दिनाक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का आगामी पेशी दिनांक 23.12.2011 नोट करवाई गई । उसके उपरान्त रीडर द्वारा उक्त प्रकरण में 24.11.2011 को नियत कर दी गई । जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण के अधिवक्ता एवं अपीलार्थीगण को नहीं थी। इस कारण दिनांक 24.11.2011 को अपीलार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज न कर अदम साक्ष्य में किया । जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय को निरस्त कर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

7. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 22.1.07 को तनकियात कायम की गई। उसके उपरान्त प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत था। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.4.2010 को वादीगण के गवाह उपस्थित थे। दिनांक 16.7.2010 को वादी ने गवाह विजय सिंह का शपथ पत्र पेश किया । जिसके उपरान्त दिनांक 16.9.2010 को कार्य स्थगित होने से न्यायालय कार्य नहीं हो सका। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.11.2010, 17.2.2011, 12.5.2011 को उभयपक्ष फरीकेन की उपस्थिति दर्ज की गई है। आगामी पेशी दिनांक 18.8.2011 को स्थानीय बार ऐसोसिएशन के द्वारा कार्य स्थगन किये जाने से आगामी पेशी दिनांक 24. 11.2011 नियत की गई थी। दिनांक 24.11.2011 की आदेशिका में यह इन्द्राज करते हुए कि " वकील वादीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को शहादत प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 22.1.2007 से आज दिन तक अवसर दिये जाने के उपरान्त भी गवाह में दो बार उपस्थित होने के बाद आज दिन तक उपस्थित नहीं होने के कारण वादीगण का वाद पत्र अदम साक्ष्य में खारिज किया जाता है'' वादीगण का वाद पत्र खारिज किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.5.2011 की आदेशिका में उभयपक्ष फरीकेन उपस्थित होने का इन्द्राज किया गया है। आगामी पेशी दिनांक 18.8.2011 को स्थानीय बार ऐसोसिएशन द्वारा कार्य स्थगन किये जाने से कार्यवाही नहीं हुई। मात्र दिनांक 24.11.2011 को वादीगण के उपस्थित नहीं होने से वादीगण का वाद पत्र अदम साक्ष्य में खारिज किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है । अपीलार्थीगण को अपनी ओर से साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जबकि मूल वाद में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरान्त उभयपक्ष के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अक्षरशः पालना नहीं कर प्रकरण को अदम साक्ष्य वादीगण खारिज किया गया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

9. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.11.2011 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना/सम्मन, नोटिस जारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

होने के उपरान्त नियत तारीख पेशी को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

10. निर्णय आज दिनांक 26.2.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

26/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा